THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) The Government had decided to grant productivity-linked bonus to the employees in the P&T Department, Overseas Communication Service and Wireless Monitoring Organisation under the Ministry of Communications. The quantum of productivity linked bonus was to be determined on the basis of productivity achieved by the employees for the respective year. Similar scheme had also been introduced for the employees in the Railways.

(b) An ad-hoc payment of 15 days wages was paid to the Government Employees in the Ministry of Communications referred to above, as a measure of good will, during the year 1979-80.

(c) and (d). During the current year 1980-81, productivity-linked bonus equal to 19 days wages has been sanctioned to the Government employees in P&T, Overseas Communication Service and Wireless Monitoring Organisation under the Ministry of Communications. This quantum is based on the productivity achieved by the staff in the year 1979-80.

The Railway have granted bonus of 23 days wages to their employees on the basis of productivity reached during 1979-80. As the amount of bonus is linked with the productivity achieved in the respective Departments, there can be no uniformity in the quantum of productivity-linked bonus granted to different Departments.

खादी संस्थाओं के पास ऊनी कपड़े का अनबिका स्टाक

843. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रायोग ग्रौर ग्रन्य स्वीकृत खादी उद्योगों द्वारा चलाए जा रहे खादी संस्थानों में बिना बिके ऊनी कपड़े के स्टाक की कीमत क्या है ग्रौर यह किस तारीख से बिना बिके पड़ा हुग्रा है ।

(ख) क्या उपरोक्त संस्थानों में ऊनी कपड़े का कताई ग्रौर बुनाई कार्य पिछले तीन वर्षों से ठप्प पड़ा है । जिससे लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं ;

(ग) क्या जैसलमेर ग्रौर बाड़मेर जिले, जहां ऊनी उद्योग भारी संख्या में हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुग्रा है, यदि हां, तो कैसे; ग्रौर

(घ) बिना बिके स्टाक को बेचने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष लिए गए कदम ग्रौर भविष्य में उठाये जाने वाले कदम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के पास ऊनी कपड़ों के इतिशेष स्टाक का मूल्य 2,446.64 लाख रुपये (ग्रनन्तिम) था ।

(ख) जी नहीं । यद्यपि ऊनी खादी के स्टाक जमा हो गये थे फिर भी इस गतिविधि में लगे हुए कारीगरों को लगातार रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से तथा इस ग्राशा से कि सर्दी के चालू मौसम के दौरान ऊनी खादी के माल की ग्रच्छी बिक्री होगी, उत्पादन को जारी रखा गया था । पछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग में सृजित किया गया कुल रोजगार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ऊनी खादी उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयों में)	ऊनी खादी कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत व्यक्तियों को रोजगार
1977-78	1574.51	1,80,196
1978-79	1951.10	2,14,269
1979-80	2222.28 (ग्रनन्तिम)	2,44,803 (ग्रनन्तिम)

(ग) राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में ऊनी खादी कार्यक्रम को मुख्यत: राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यकर रही संस्थाओं/सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन तथा राजस्थान राज्य बोर्ड की भी बाड़मेर जिले में कोई विभागीय गतिविधि है । वर्ष 1979-80 के दौरान जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलो में ऊनी खादी में क्रमश: 3,425 तथा 1,989 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ किया गया था । इन दो जिलों में उत्पादित ऊनी खादी का मूल्य लगभग एक करोड रुपए था ।

(घ) आयोग ने स्थिति से निपटने के लिय निम्नलिखित कदम उटाए हैं :—

(1) कम्बलों तथा कम्बलियो की खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत तथा ऊनी खादी की वस्तुओं की अन्य किस्मो पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट की अवधि को बढ़ा कर 75 दिन कर दिया गया है जब कि प्रत्येक वर्ष मे सामान्य अवधि 60 दिनों की होती है ।

(2) उन संस्थाओ जो राजस्थान से थोक आधार पर ऊनी खादी का माल खरीद रही है, को सामान्य थोक कमीशन के अलावा राजस्थान में संस्थाओ को 5 प्रतिशत थोक कमीशन लेने की अनुमति दे दी गई है ।

(3) राजस्थान में संस्थाओं को राज्य में तथा राज्य से बाहर ऊनी खादी की वस्तुओं की बिक्री के लिए अस्थायी बिक्री भण्डार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है ।

(4) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर जो राजस्थान में कार्य कर रही संस्थाओं/सहकारी सोसाइटियों का परिसंघ है, को उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए ऊनी खादी की वस्तुओं की बिक्री हेतु पटना में वस्त्रागार खोलने की अनुमति दे दी गई है । संस्था संघ ने पटना मे वस्त्रागार खोल लिया है और इस महीने से बिक्री भी शुरू कर दी है ।

बिना बिके ऊनी खादी के स्टाक को बेचने के लिए चालू वर्ष के दौरान हर संभव कदम उठाए जाएंगे ।

मूर्तियों की चोरी

844. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूर्तियों की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उन में से कितने मामलों को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है और मूर्तियों को कितने स्थानों से बरामद किया गया था तथा मूर्ति चोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मूर्ति चोरो को दण्ड देने का है ताकि वे भविष्य में ऐसा न करेंगे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और उपायुक्त दिल्ली पुलिस, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों मे मूर्तियों की चोरी के 1032 मामले दर्ज किए गए हैं । इन में से 136 मामलों में मूर्तियां 13 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रो के स्थानों से बरामद की गई हैं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने इन चोरियों के संबंध में 138 चोरों के खिलाफ कार्यवाही की है । मामलों का निर्णय हो जाने पर दण्ड उचित प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।